रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के अल्पावधिक (अर्थात् एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रापण हेतु दिशा-निर्देश।

सं. 23/25/2011-आर एंड आर (खण्ड-III).—1.0 प्रस्तावना

1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालन में केंद्र सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2016 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I, खंड-1) में प्रकाशित संकल्प सख्या 23/25/2011-आरएंडआर (खंड-III) के माध्यम से "प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की अल्पावधि (अर्थात् एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रापण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश" अधिसूचित किए थे।

2.0 केंद्र सरकार एतदद्वारा अन्य बातों के साथ-साथ रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया में स्वत: विस्तार को कार्यान्वित करने और कुछ प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उक्त दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है जो दिनांक 01 जनवरी, 2017 से प्रभावी होंगे।

2.1 बिंदु सं. 3.3 का पैरा: "प्रापक अथवा उनके एआर ई-बोली पोर्टल पर मांग-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और इवेंट का सृजन कर सकते हैं। सभी बोलीदाता पीएफसीसीएल को अधिकतम क्षमता, जहां तक बोलीदाता बोली लगाने का इच्छुक है, के लिए 500 रुपए प्रति मेगावाट के अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर ई-बोली इवेंट में भाग लेने में सक्षम हो सकेंगे। अपेक्षित शुल्क तथा लागू कर एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा पोर्टल के माध्यम से, उपलब्ध करवाए गए ई-भुगतान गेटवे द्वारा जमा किए जाएंगे। बोली-प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात, केवल सफल बोलीदाता(ओं) को ही, प्रत्येक बोलीदाता को आबंटित मात्रा के लिए, इन शुल्कों का भुगतान करना होगा।

पीएफसीसीएल द्वारा, शेष राशि को बिना किसी ब्याज के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। चयनित न होने वाले बोलीदाता(ओं) द्वारा जमा किए गए शुल्क को भी, इवेंट के पूरा होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर, पीएफसीसीएल द्वारा बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।"

इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"प्रापक(कों) अथवा उनके एआर ई-बोली पोर्टल पर मांग-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और इवेंट का सृजन कर सकते हैं। सभी बोलीदाता पीएफसीसीएल को उस विशेष मांग के लिए, जिसके लिए बोलीदाता बोली लगाने का इच्छुक है यूटिलिटी द्वारा अपेक्षित कुल क्षमता के लिए, 500 रुपए प्रति मेगावाट प्रति मांग के अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर ई-बोली इवेंट में भाग लेने में सक्षम हो सकेंगे। अपेक्षित शुल्क तथा लागू कर एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा पोर्टल के माध्यम से, उपलब्ध करवाए गए ई-भुगतान गेटवे द्वारा जमा किए जाएंगे। बोली-प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात, केवल सफल बोलीदाता(ओं) को ही, प्रत्येक बोलीदाता को आबंटित मात्रा के लिए, इन शुल्कों का भुगतान करना होगा। पीएफसीसीएल द्वारा, शेष राशि को बिना किसी ब्याज के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। चयनित न होने वाले बोलीदाता(ओं) द्वारा जमा किए गए शुल्क को भी, इवेंट के पूरा होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर, पीएफसीसीएल द्वारा बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।"

2.2 बिंदु सं.7.10 का पैरा: "निष्कासन के पश्चात संक्षिप्त सूची में आने वाले बोलीदाता को प्रणाली द्वारा उत्पादित ई-मेल द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। रिवर्स नीलामी आरंभिक मूल्य प्रस्तावों के खुलने के 120 मिनट के भीतर शुरू होनी चाहिए और बिना किसी विस्तार (स्वतः या अन्यथा) के अगले 120 मिनटों की अवधि के लिए जारी रहेगी। रिवर्स नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं के पास, उनके द्वारा दर्शाए गए प्रशुल्क में एक पैसा या इसके गुणक में कमी करने और उनके द्वारा उद्धृत की गई प्रमात्रा में एक मेगावाट या इसके गुणक में बढ़ोतरी करने का विकल्प होगा। रिवर्स नीलामी के दौरान मौजूदा न्यूनतम प्रशुल्क को सभी बोलीदाता देख सकेंगे।"

इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"निष्कासन के पश्चात संक्षिप्त सूची में आने वाले बोलीदाता को प्रणाली द्वारा उत्पादित ई-मेल द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। रिवर्स नीलामी आरंभिक मूल्य प्रस्तावों के खुलने के 120 मिनट के भीतर शुरू होनी चाहिए और अगले 120 मिनटों की अवधि के लिए जारी रहेगी। रिवर्स नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं के पास, उनके द्वारा दर्शाए गए प्रशुल्क में एक पैसा या इसके गुणक में कमी करने और उनके द्वारा उद्धृत की गई प्रमात्रा में एक मेगावाट या इसके गुणक में बढ़ोतरी करने का विकल्प होगा। रिवर्स नीलामी के दौरान मौजूदा न्यूनतम प्रशुल्क को सभी बोलीदाता देख सकेंगे।"

बशर्ते कि ई-रिवर्स नीलामी के निर्धारित बंद किए जाने से पूर्व अंतिम 10 (दस) मिनट के दौरान, यदि सबसे कम मौजूदा बोली से कम की बोली प्राप्त होती है तो ई-रिवर्स नीलामी को बंद किए जाने का समय अंतिम प्राप्त बोली समय से 10 (दस) मिनट तक स्वत: ही बढ़ जाएगा। स्वत: विस्तार की यह प्रक्रिया 10 (दस) मिनट की अवधि तक जारी रहेगी जिसके दौरान ऐसी कोई बोली प्राप्त न हो जो वर्तमान न्यूनतम बोली से कम हो।"

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 30th December, 2016

Amendment to the Guidelines for short-term (i.e. for a period of more than one day to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process.

No. 23/25/2011-R&R (Vol-III) 1.0 .—INTRODUCTION

1.1 In compliance with section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government had notified the "revised Guidelines for short term (i.e. for a period of more than one day to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process" vide resolution No. 23/25/2011-R&R(Vol-III) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part- I, Section-1) on 30th March, 2016.

2.0 The Central Government hereby notifies the following amendments in the said guidelines inter-alia to implement auto extension in the reverse auction process and to bring more clarity in some of the provisions, to be effective from 1st January, 2017:

2.1 The Para at point No. 3.3: "The Procurer(s) or their AR can raise indents on the e-Bidding portal and create events. All the Bidders would be able to participate in the e-Bidding events on making payment of the requisite fees of ₹500 per MW for the maximum capacity, a bidder is willing to bid, to PFCCL. The requisite fee plus applicable taxes shall be deposited through the portal by e-Payment Gateway provided by MSTC Ltd. After the completion of the bidding process, only successful Bidder(s) will have to pay these charges for the quantum allocated to each bidder. The balance amount will be refunded by PFCCL within seven (7) working days without any interest. The fee deposited by non Selected Bidder(s) will also be refunded by PFCCL within seven (7) working days of completion of the event without any interest."

May be read as under:

"The Procurer(s) or their AR can raise indents on the e-Bidding portal and create events. All the Bidders would be able to participate in the e-Bidding events on making payment of the requisite fees of Rupees 500 per MW per requisition for the total capacity sought by the Utility for that particular requisition for which the bidder is willing to bid, to PFCCL. The requisite fee plus applicable taxes shall be deposited through the portal by e-Payment Gateway provided by MSTC Ltd. After the completion of the bidding process, only successful Bidder(s) will have to pay these charges for the quantum allocated to each bidder. The balance amount will be refunded by PFCCL within seven (7) working days without any interest. The fee deposited by non Selected Bidder(s) will also be refunded by PFCCL within seven (7) working days of completion of the event without any interest."

2.2 The Para at point No. 7.10: "The shortlisted Bidder after elimination will be intimated individually by system generated emails only. The Reverse auction should start within 120 minutes of opening of Initial Price Offers and shall continue for a period of next 120 minutes without any extension (automatic or otherwise). During the Reverse Auction the Bidders will have the option of reducing the tariff quoted by them in decrements of one paise or multiples thereof and to increase the quantum quoted by them by 1 MW or multiples thereof. During the Reverse Auction the prevailing Lowest Tariff would be visible to all the Bidders."

May be read as under:

"The shortlisted Bidder after elimination will be intimated individually by system generated emails only. The Reverse auction should start within 120 minutes of opening of Initial Price Offers and shall continue for a period of next 120 minutes. During the Reverse Auction the Bidders will have the option of reducing the tariff quoted by them in decrements of one paise or multiples thereof and to increase the quantum quoted by them by 1 MW or multiples thereof. During the Reverse Auction the prevailing Lowest Tariff would be visible to all the Bidders.

Provided that during the last 10 (ten) minutes before the scheduled close time of e-Reverse auction, if a price bid is received which is lower than the lowest prevailing price bid recorded in the system during e-Reverse auction, the close time of e-Reverse auction will be automatically extended by 10 (ten) minutes from the time of the last price bid received. This process of auto extension will continue till there is a period of 10 (ten) minutes during which no price bid is received which is lower than the prevailing lowest price bid ".

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.01.02 11:46:56 +05'30'